



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 740) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं0 2@lh0&10177@2008-8071/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

4 अगस्त 2021

श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल सम्प्रति उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध इंदिरा आवास मद में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत तक व्यय नहीं करने, प्रधान मंत्री इंदिरा आवास एवं बुनियादी इंदिरा आवास योजना की राशि को जमा नहीं करने, इंदिरा आवास के तहत चयनित लाभुकों के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराने, स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु जमीन का चयन नहीं किये जाने इत्यादि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापक 2174 दिनांक 29.11.2008 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध आरोप है कि :-

- (i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के अगस्त माह तक इंदिरा आवास मद में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत तक व्यय आपके द्वारा नहीं किया गया है जबकि इस संबंध में आपको निदेश दिया गया था।
- (ii) आपको प्रधानमंत्री इंदिरा आवास एवं बुनियादी इंदिरा आवास योजना की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अरवल में जमा करने हेतु कई बार निदेश दिया गया, लेकिन अभी तक यह राशि आपके द्वारा जमा नहीं की गई है और न ही इसके संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया गया है।
- (iii) आपको प्रतीक्षा सूची बनाकर प्रतीक्षा सूची को ग्राम सभा से अनुमोदित करा कर दीवाल पेन्ट कराने हेतु निदेश दिया गया था। लेकिन इस संबंध में अभी तक आपका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है।
- (iv) आपसे पिछले तीन सालों (2005-06, 2006-07, 2007-08) में सामान्य इंदिरा आवास के तहत चयनित लाभुकों के संबंध में विहित प्रपत्र में दिनांक 22.08.2008 तक सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। जो अभी तक अप्राप्त है।
- (v) पंचायतवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध अधिक से अधिक लाभुकों को बैंकों में खाता खुलवाकर प्रखण्ड मुख्यालय में निर्धारित तिथि को कैम्प लगाना है, पासबुक वितरित करने और लाभुकों के

पासबुक वितरण के पश्चात् लाभुकों की सूची, खाता संख्या एवं राशि सहित भेजने का निदेश दिया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

- (vi) आपको महादलित परिवारों के सर्वेक्षण हेतु निदेश दिया गया था तथा प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है।
- (vii) आपको 2001 के जनगणना के आधार पर जिला अन्तर्गत जिन-जिन गाँव में 40 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी0पी0एल0 परिवार निवास करते हैं। इन गाँव में आवास की कमी के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है।
- (viii) आपसे इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, इस संबंध में स्मार पत्र भी भेजा गया। इसके बावजूद आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।
- (ix) आपको आरम्भक संख्या 766 दिनांक 5.7.2008 के द्वारा अधूरे इंदिरा आवास को 15 दिनों के अंदर पूरा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है।
- (x) आपसे दिनांक 26.6.2008 के बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है।
- (xi) आपसे इंदिरा आवास मद में व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र की मांग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है।
- (xii) निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने, समय पर प्रतिवेदन नहीं समर्पित करने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में।
- (xiii) वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई एवं शत प्रतिशत लक्ष्य दिनांक 13.9.2007 तक पूर्ण किये जाने में लापरवाही बरतना एवं अनुपालन नहीं किया जाना।
- (xiv) कब्रिस्तान घेराबन्दी में रूची नहीं लेना, घेराबन्दी का कार्य नहीं करना, अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहना, उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करना तथा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर रहना।
- (xv) इंदिरा आवास में अनियमितता एवं दूरभाष/मोबाइल नहीं उठाना एवं उच्चाधिकारी की आदेश की अवहेलना।
- (xvi) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर के द्वारा मनगढंत आरोप लगाना।
- (xvii) इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं करना एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना।
- (xviii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर, श्री अखिलेश कुमार सिंह के द्वारा बरती गयी लापरवाही की वजह से वंशी प्रखण्ड हेतु जमीन चयन में अनावश्यक विलंब एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु जमीन का चयन नहीं किया जाना तथा वंशी ओ0पी0 हेतु जमीन का चयन नहीं किया जाना।
- (xix) ग्राम पंचायत खटांगी के पंचायत सेवक श्री अमरेन्द्र कुमार के स्थानांतरण होने के कारण किसी अन्य पंचायत सेवक की प्रतिनियुक्ति करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग किया गया था, जा अप्राप्त है।
- (xx) दिनांक 26.12.08 को अवकाश अस्वीकृत करने के पश्चात् भी मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10394 दिनांक 19.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालित पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच)-सह-संचालन पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 28 दिनांक 10.03.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 5670 दिनांक 15.04.2015 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह के दिनांक 07.05.2015 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 11050 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पुनर्जाँच करने का अनुरोध किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 326 दिनांक 04.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध कुल-20 आरोपों में से आरोप संख्या-01, 12, 13, 15, 16, 18 एवं 20 अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-14 आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 19 प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया :-

आरोप सं०-2 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-3 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—कई पत्र एवं स्मार दिये जाने बावजूद आरोपी पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं करना गंभीर आरोप है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-4 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट कब और किस पत्र के द्वारा भेजा गया है, उपलब्ध नहीं कराया गया है। वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना एवं लापरवाही का **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-5 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके द्वारा क्यों वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया ? **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-6 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-7 में पर संचालन पदाधिकारी मंतव्य ।— आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण साक्ष्याधारित नहीं है। इनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-8 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा तथ्यात्मक रूप से आरोप को अस्वीकार नहीं किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण तक समर्पित नहीं किया गया है। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-9 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।— आदेश का अनुपालन से संबंधित कोई साक्ष्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-10 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—स्पष्टीकरण तथ्यात्मक और साक्ष्याधारित नहीं है। इनके द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं की गई थी। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-11 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आरोप को खंडित नहीं किया जा सका है। इनके द्वारा डी०सी० विपत्र उपलब्ध नहीं कराई गई है। **आरोप प्रमाणित।**

आरोप सं०-14 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि सभी क्रब्रिस्तान की घेराबन्दी करा दी गई है। अतः यह स्वीकार योग्य है। किन्तु उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने और मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अतएव उल्लेखित आरोप **आंशिक प्रमाणित।**

आरोप सं०-17 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।—मंतव्य यथा कंडिका-3 कई पत्र एवं स्मार दिये जाने बावजूद आरोपी पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं करना गंभीर आरोप है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। **आरोप प्रमाणित होता है।**

आरोप सं०-19 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।— आरोपी पदाधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत खटांगी में पंचायत सेवक का प्रभार ससमय दुसरे कर्म को नहीं दिया गया है। इनके द्वारा जिला पदाधिकारी को स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। **आरोप प्रमाणित।**

आरोप सं०-20 में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ।— मामला पूर्व जिला पदाधिकारी के समय का है। यदि वे आरोपी पदाधिकारी से असहमत होते तो उसी समय आरोप-पत्र गठित करते। तत्कालीन जिला पदाधिकारी के स्तर से यह आरोप गठित किया जाना समुचित नहीं है। **आरोप प्रमाणित।**

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आंशिक एवं प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 3882 दिनांक 17.03.2020 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा बचाव बयान/अभ्यावेदन की मांग की गयी, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री सिंह से बचाव बयान अप्राप्त है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोप मुख्यतया वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं लापरवाही से संबंधित है। साथ ही उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं रहने से संबंधित है। इस आशय का सभी आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिंह द्वारा प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव बयान लगातार स्मारित किये जाने के बावजूद भी नहीं दिया जाना उनके कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल सम्प्रति उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत **देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक/ संचयी प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 5156 दिनांक 28.04.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री सिंह के विरुद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 838/लो0से0आ0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल सम्प्रति उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

॥ देय तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक।

॥ संचयी प्रभाव के साथ पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 740-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>